मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना–800002

पत्रांक–2 / मु0अ0–01–55 / 2025 पटना / दिनांक–

प्रेषक,

ई0 एजाज कलीम
मुख्य अभियन्ता ।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
खान एवं भूतत्व विभाग,
जिला खनन कार्यालय,
नालंदा (बिहारशरीफ)।

विषय :– नालंदा जिलान्तर्गत जिराईन नदी में बालू घाट कलस्टर–05 अन्तर्गत विभिन्न स्थलों यथा जिराईन–01 एवं जिराईन–02 (ग्राम–गोविन्दपुर के समीप) तथा जिराईन–03 (ग्राम–दरियापुर के समीप) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु जिराईन नदी में रास्ता बनाने हेतु अनुमति / अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–बाढ़(मो0)सिं0–66 / 2015–अंश–II–453 दिनांक–30.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त विभागीय निदेश तथा आपके पत्रांक–1794 दिनांक–22.12.2025 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नालंदा जिलान्तर्गत जिराईन नदी में बालू घाट कलस्टर–05 अन्तर्गत विभिन्न स्थलों यथा जिराईन–01 एवं जिराईन–02 (ग्राम–गोविन्दपुर के समीप) तथा जिराईन–03 (ग्राम–दरियापुर के समीप) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु नदी में रास्ता बनाने के लिए अनुमति / अनापत्ति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है, जिससे की नदी के जलप्रवाह / तटबंधों / संरचनाओं / Morphological Behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

1. नदी भाग एवं कंट्री भाग में वाहनों के नदी तट पर चढ़ने एवं उतरने हेतु दोनों तरफ रैम्प का निर्माण करना होगा, जो खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से किया जायेगा।
2. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से सम्पोषण की जिम्मेवारी खान एवं भूतत्व विभाग की होगी।
3. खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर जमींदारी बाँध से बालू घाट तक आने–जाने का मार्ग बनाया जायेगा। इस रास्ते पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू को नियंत्रित रखा जा सके। उक्त कार्यों को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जायेगा।
4. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढ़का हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो।
5. बाढ़ अवधि में वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बाढ़ अवधि के पूर्व इन संरचनाओं को खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
6. नदी तट के किसी भी भाग पर आवेदक का स्वामित्व नहीं होगा।
7. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
8. जल संसाधन विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताए विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. संरचनाएँ बिल्कुल अस्थायी एवं निजी प्रयोग के लिए है, इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबूती की सम्पूर्ण जिम्मेवारी खान एवं भूतत्व विभाग की होगी।
10. संवेदक को इस स्थायी संरचना के दोनों ओर एक–एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर अंकित करना होगा कि:– ''यह अस्थायी संरचना आम लोगो के लिए वर्जित है''।
11. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. अस्थायी संरचना के निर्माण से नदी के बहाव में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय। इसके लिए नियमित रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी खान एवं भूतत्व विभाग की होगी।
13. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय।
14. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय।
15. किसी भी अप्रिय घटना के लिए खान एवं भूतत्व विभाग जिम्मेवार होगा।
16. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थायी संरचना/अवरोध को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा हटाना होगा।
17. संरचना निर्माण के दौरान बाँध एवं इसपर निर्मित संरचनाओं आदि को किसी प्रकार की क्षति न हो। क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही खान एवं भूतत्व विभाग की होगी एवं खान एवं भूतत्व विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा।
18. एन0एस0एल0 एवं किनारों को किसी भी हाल में Disturb नहीं किया जाय।
19. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023–205 दिनांक–20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
20. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक–31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा।
21. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को रद्द करते हुये विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/–

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक:– पटना/दिनांक:–

प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक:– 517/ पटना/दिनांक:– 06.02.2026

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

उपलब्ध 06.02.26

अभि0प्रमुख (मुख्यालय)